



पत्रांक :

/ कम्प्यूटर सेल / /

दिनांक-

कार्यालय आदेश

आवास आयुक्त(म०) के कार्यालय आदेश संख्या-44/प्रशा०-एक-1168 दिनांक 12.04.2017 द्वारा परिषद मुख्यालय एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में आटोमेटेड बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत है।

परिषद के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कतिपय कार्मिकों के अंगूठे/ऊंगली की त्वचा अस्वस्थता अथवा अन्य कारणोवश बायोमैट्रिक मशीनों पर अंगूठे/ऊंगली के **Impression** दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। उक्त परिस्थिति में ऐसे कार्मिकों की दैनिक उपस्थिति के प्रभावी नियंत्रण हेतु नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त समस्या की वास्तविकता के आधार ऐसे कार्मिकों की उपस्थिति अपनी देखरेख में मैनुवल उपस्थिति पंजिका पर दो पालियों में समय सहित दर्ज करायी जायेगी। तदनुसार नियंत्रक अधिकारी द्वारा कार्मिक के अवकाश पर रहने अथवा कार्यालय विलम्ब से आने/जल्दी छोड़ने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित कार्मिक के वेतन आहरण की कार्यवाही की जायेगी।

उक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(महेन्द्र कुमार)

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

पृ० सं०- 4485 / उ० प्र०

दिनांक-31.08.2017

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक।
2. समस्त जोनल अपर/संयुक्त/उप आवास आयुक्त।
3. उप आवास आयुक्त(प्रशासन), मुख्यालय।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/उपनिदेशक/वास्तुविद नियोजक।
6. समस्त सम्पत्ति प्रबंधक।
7. समस्त अनुभागाध्यक्ष, मुख्यालय।
8. निजी सचिव, आवास आयुक्त को महोदय के संज्ञानार्थ।

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव